यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के माह 03/2012 से 09/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.10.2018 से 25.10.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के क्रियाकलाप में विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित कराना है तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुमाऊँ क्षेत्र शामिल है

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2014-15	0.00	0.00	353.00	265.44	35.78	18.58	-	104.76
2	2015-16	0.00	0.00	341.50	275.91	38.02	23.37	-	80.24
3	2016-17	0.00	0.00	381.68	284.23	48.21	38.71	-	106.95
4	2017-18	0.00	0.00	358.06	317.34	50.84	35.41	-	56.14
5	2018-19	0.00	0.00	380.13	180.45	65.80	21.43	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव श्रम विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

b). श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल

c). उप श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2012 से 09/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016, 07/2017 एवं 04/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:1 कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नही किया जाना एवं शासनादेश के विपरीत धनराशि रु 113.56 लाख के वाउचरो का रखरखाव नियम संगत नही पाया जाना।

शासनादेश संख्या 3/xxvii(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 के द्वारा शासकीय भुगतान हेतु राज्य मे ई-प्रणाली लागू की गयी थी जिसके तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों मे पैरा संख्या 4.9 के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे ।

कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के रोकड़ बही संबन्धित अभिलेखो की जांच की गयी। चयनित नमूना जांच के दौरान माह 07/2017, 10/2016 एवं 04/2018 के क्रमश: धनराशि रु 56.12 लाख, 38.79 लाख एवं 86.48 लाख के व्ययों की जांच की गयी। जांच मे लेखाशीर्ष 2230-01-102-03 एवं 2230-01-103-08 के कुल धनराशि रु 67.83 लाख के वाउचर फ़ेक्टरी सेक्शन(उप- निदेशक कारख़ाना/ ब्वायलर्स) से संबन्धित होने के कारण जांच हेतु प्रस्तुत नही किए गए। अतः कार्यालय संबन्धित कुल धनराशि रु 113.56 लाख स्थापना एवं गैर-स्थापना) के वाउचर लेखापरीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए जिसके सापेक्ष माह 10/2016 के धनराशि रु 32.83 लाख के वाउचर लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए। आगे जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि, कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव ई- प्रणाली लागू (वर्ष 2013 से) किए जाने के उपरान्त से नही किया गया एवं कार्यालय द्वारा कोषागार को समय समय पर प्रेषित देयकों(Bill), प्रपत्र01 एवं प्रपत्र-02 की छायाप्रतियों का रखरखाव भी नही किया गया। उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य मे कार्यालय स्तर से तैयार किए गए 11सी पंजिका, कोषागार प्रेषण पंजिका आदि का रखरखाव नियम संगत नही पाया गया क्योंकि संबन्धित पंजिकाओ मे संबन्धित देयकों/वाउचर के भुगतान संबन्धित विवरण अंकित न कर केवल मद संख्या अंकित किया गया जिस कारण लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत देयकों मे अंतिम भुगतान का पता लगाना संभव नही पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कोषागार द्वारा ई-पेमेंट किए जाने के कारण cash book मे चैक/नकद न आने से यह प्रक्रिया अपनाई गयी थी जिसे आपके निर्देशानुसार ई पेमेंट को भी अब cash book मे दर्शाया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि इकाई स्तर से रोकड़ बही का रखरखाव वर्ष 2013 से नही किया जा रहा था ओर न ही इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश के तहत ई-प्रणाली संबन्धित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यालय अभिलेखो का नियमतः रखरखाव सुनिश्चित किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:1 अनियमित व्यय रु 2.27 लाख का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम संख्या 3(10) के अनुसार निम्नतर दरो का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकलित मूल्य के सन्दर्भ मे अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागो मे विभक्त किया जाएगा। कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, हल्द्वानी की वर्ष 2017-18 की अवधी मे क्रय की गयी कंप्यूटर/लेपटाप से संबन्धित क्रय कोटेशन पत्रावली की जांच की गयी, जिसमे फर्म से प्राप्त समग्रियों का विवरण निम्नवत पाया गया:-

क्र. सं.	क्रय सामाग्री	फर्म का नाम	वाउचर संख्या/ दिनांक	धनराशि
1	प्रिन्टर	टोटल कंप्यूटर हल्द्वानी	338/22.01.18	10900
2	प्रिन्टर	टोटल कंप्यूटर हल्द्वानी	352/15.02.18	10900
3	कंप्यूटर क्रय	टोटल कंप्यूटर हल्द्वानी	394/21.03.18	197400
4	कार्टेज क्रय	टोटल कंप्यूटर हल्द्वानी	473/24.03.18	7400
			योग	226600/-

उपरोक्त क्रय समग्रियों के आकड़ों से स्पष्ट था कि जनवरी से मार्च 2018 के 02 महीनो की अवधि मे एक ही फर्म द्वारा कम्प्यूटर तथा उनके एसेसरीज की आपूर्ति की गयी। जांच मे आगे पाया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 18(2) के अनुसार कार्यालय मे क्रियाशील कंप्यूटर के रखरखाव के लिए annual maintenance contract का अनुपालन नही किया जा रहा था।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यालय मे मांगानुसार ही क्रय किया गया है न कि छोटे छोटे भाग मे क्रय । एएमसी की लागत तथा वार्षिक व्यय मरम्मत का अध्ययन कर यदि एएमसी व्यवस्था मे कम लागत लगेगी तो इस पर विचार किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि कार्यालय मे आवश्यक समग्रियों का आवधिक आकलन की व्यवस्था की कमी थी फलतः इतने अल्प समय मे एक ही प्रकार की टुकड़ो टुकड़ो मे सामाग्री क्रय किया जाना अविवेकपूर्ण निर्णय था जिस कारण शासकीय हित मे अच्छी प्रतिस्पर्धा दर नियमाकूल प्राप्त नही की जा सकी। शासकीय हित मे मितव्ययी तथा कार्यालय को त्वरित सेवा के साथ साथ मशीन की दक्षता बनाए रखने के लिए एएमसी के लिए इकाई गम्भीर नही पायी गयी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
----------प्रथम लेखापरीक्षा है----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
----------प्रथम लेखापरीक्षा है----------						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री अनिल पेढवाल	उप- श्रम आयुक्त, हल्द्वानी	लेखापरीक्षा अवधि से 03.06.2018
श्री विपिन कुमार	उप- श्रम आयुक्त, हल्द्वानी	04.06.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप-श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
(सामाजिक क्षेत्र)